

न्यायालय सपजिलाधिकारी रुधौली।

ता. 25/12/2011

धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम
ग्राम तेनुआ तप्पा मडिया पर 0 बस्ती पूरब
तहसील रुधौली जयपूर बस्ती।

हरिशंकर चौधरी
पुत्र
रामराज

निर्णय

हरिशंकर चौधरी पुत्र रामराज चौधरी सा 0 तेनुआ पर 0 मजबूत तहसील रुधौली जिला बस्ती द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 25/12/2011 को इस आशय पर प्रस्तुत किया गया है कि हरिशंकर चौधरी पुत्र रामराज चौधरी सा 0 तेनुआ पर 0 मजबूत तहसील रुधौली जिला बस्ती का निवासी है। प्रार्थी दीनबन्धु सहाविद्यालय जयपूर बस्ती द्वारा प्रस्तुत हरिशंकर चौधरी पुत्र रामराज चौधरी करके एक विद्यालय ग्राम तेनुआ तप्पा मडिया पर 0 बस्ती पूरब तहसील रुधौली जयपूर बस्ती के माद 10/130/0-18, 17/1/0-100, 17/3/0-113, 157/0-200, 168/0-640 को कुल खाल माद 10/130/0-18, 17/1/0-100, 17/3/0-113, 157/0-200, 168/0-640 के तौर से प्रयोग किया जाता है। 1800 हेक्टर जो विद्यालय के रूप में आबादी के तौर से प्रयोग किया जाता है। जमीन उपरोक्त आबादी समाप्त अकषिक धारा 143 के अन्तर्गत उपरोक्त जमीन की अकषिक मानव हुये आबादी विद्यालय के रूप में वर्ज कर माल गुजारा से मुक्त किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त प्रकारण की जांच तहसीलदार रुधौली द्वारा करायी गयी जायब तहसीलदार द्वारा अपना आख्या निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 10/01/2012 को प्रस्तुत की जायब किया गया है कि ग्राम तेनुआ तप्पा मडिया पर 0 बस्ती पूरब तहसील रुधौली जयपूर बस्ती जमीन जो विद्यालय संचालित है और जो भूमि जयपूर बस्ती के अन्तर्गत खाल माद 10/130/0-18, 17/1/0-100, 17/3/0-113, 157/0-200, 168/0-640 के अन्तर्गत आबादी समाप्त अकषिक धारा 143 के अन्तर्गत उपरोक्त जमीन की अकषिक मानव हुये आबादी विद्यालय के रूप में वर्ज कर माल गुजारा से मुक्त किया जाना आवश्यक है। जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत उपरोक्त जमीन की अकषिक मानव हुये आबादी विद्यालय के रूप में वर्ज कर माल गुजारा से मुक्त किया जाना आवश्यक है।

